

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ. 4(1)(320)पोषा/विविध/भौति. सत्यापन/ICDS/2014/

जयपुर, दिनांक:-

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :-पूरक पोषाहार की मांग, आपूर्ति, भण्डारण, परिवहन, वितरण आदि के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-विभागीय आदेश क्रमांक 54518-51 दिनांक 06.02.2012

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पूरक पोषाहार की मांग, आपूर्ति, भण्डारण, परिवहन, वितरण एवं पोषाहार स्टॉक के भौतिक निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ बाल विकास परियोजना अधिकारियों को एक दूसरी परियोजना के पोषाहार भण्डारण एवं स्टॉक की जांच का दायित्व दें अर्थात् एक बाल विकास परियोजना अधिकारी अपनी परियोजना के पूरक पोषाहार के स्टॉक की जांच नहीं करके आपके निर्देशानुसार जिले की अन्य परियोजना में पूरक पोषाहार के भण्डारण एवं स्टॉक की जांच कर अपनी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करेंगे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आपके जिले में संचालित समस्त परियोजनाओं में वर्ष-2013-2014 के दौरान केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त एवं वितरित पूरक पोषाहार के भण्डार एवं स्टॉक की क्रास जांच का कार्य दिनांक-15.05.2014 के दौरान करवाकर निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण-पत्र निदेशालय को प्रेषित करावें :-


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला के अन्तर्गत संचालित समस्त परियोजनाओं में वर्ष-2013-14 के दौरान केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त एवं वितरित पूरक पोषाहार के भण्डार एवं स्टॉक की क्रास जांच विभागीय निर्देशानुसार करा ली गई है। निरीक्षण दिनांक को भण्डार में उपलब्ध स्टॉक एवं स्टॉक पंजिका में उल्लेखित अवशेष भौतिक रूप से सही पाया गया अथवा निम्नलिखित कमियां पाई गई :-

- 1
- 2

हस्ताक्षर उप निदेशक

उक्त सूचना दि.-31.05.2014 तक आवश्यक रूप से फैक्स न0 0141-2705638, 0141-2700281 अथवा ईमेल आई. डी. director.wcd@rajasthan.gov.in अथवा adn.wcd@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करावें।


(अरुण कुमार गुप्ता)
निदेशक


समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ. 4(1)(320)पोषा/विविध/भौति. सत्यापन/ICDS/2014/38381-700

जयपुर, दिनांक:- 29/5/14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।


(अरुण कुमार गुप्ता)
अति.निदेशक (पोषाहार)